न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

अमरचन्द बनाम विनोद वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या..288/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23/12/19	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के हक अधिकार निहित होकर चले आ रहें है, जो कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के निहित विधिक हक अधिकारों की भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाकर प्रार्थी के विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात करने व प्रार्थी के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप किये जाने की पूर्ण सम्भावना है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त व हकअधिकारों में बाधा दखल करने लगे है तथा प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के विधिक हक अधिकारों के विरूद्ध अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक प्रार्थी के अधिकारों में बाधा नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बोबाडी में खसरा नं0 421 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नं0 422 रकबा 2.39 हैक्टेयर में शंकर पि0 गोपीराम के विरासती एवं अप्रार्थी सं0 1 के नाम अंकित वादग्रस्त विवादित भूमि का बेचान, अंतरण व हस्तांतरण नहीं करावे तथा वर्तमान कब्जे, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे तथा प्रार्थी के पैतृक वंशानुगत हक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा दखल नहीं करे, उक्त प्रकार के कार्य ना तो स्वयं ही करे एवं ना ही अपने किसी ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, अधिनस्थ कर्मचारी आदि से करावे। यदि उक्त आदेश से किसी को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो तथा तलबी अप्रार्थीगण की जारी कर पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर जमवारामगढ़, जयपुर
27/1/2020	पत्रावली पेश हुई/ मूल वाद नोटिस स्तर में खारिज हो चुका है अतः प्रकरण अब कोई औचित्य नही रहा है अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है/ पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो/ [signature] सहायक कलक्टर जमवारामगढ़, जयपुर Order pressed 27/1/2020